प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियां समझी जाने वाली कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 के साथ पठित नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के लेखों से सम्बंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम जोकि एक सांविधिक निगम है, के सम्बंध में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा संचालन करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास है। इन निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरणों में वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां कहीं अनिवार्य है 2016-17 से तद्नन्तर अवधि से सम्बंधित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।